कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 266 /मैनपुरी/25364/2017, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 03, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : मैनपुरी में शिकोहाबाद–भौगॉव मार्ग (एस0एच0–84) किमी0 चैनेज 21.000 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास लम्बाई 6.56 किमी0 कुल 25.66 किमी0 लम्बाई में 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 24.92755 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4645 वृक्षों एवं पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/26/2018/एफसी/260, दि0 10.07.2018, उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा0स0–109/14–2–2018–800(18)/2018, दिनांक 17.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनायें व अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थे। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, आगरा के पत्रांक–458/14–1, दिनांक 27.07.2018 द्वारा वांछित सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं।

अतः वन संरक्षक, आगरा के उक्त पत्र की संलग्नक सहित 02 प्रतियॉ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि एक प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

3/8

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मैनपुरी।
3– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मैनपुरी।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।